लेकिन पिछले तीन चार वर्षों से इस क्षेत्र में अकाल पड़ता रहा और यह कार्य भी ठप्प हो गया है । संस्थाओं के पास पूंजी की कमी आ गयी क्योंकि संस्थाओं के पास भारी मात्रा में ऊनी खादी का स्टाक अवरुद्ध पड़ा है ।

प्रांतीय संस्थाओं में बड़ी भारी मात्रा में लाखों व करोड़ों रुपए की पूंजी उधार खाते में रुकी पड़ी है जिसके कारण सारा उत्पादन व रोजगार बंद हो गया है । मेरा केंद्रीय सरकार से आग्रह है कि सरकार, खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित खादी का माल का सरकारी विभागों में सप्लाई का आदेश करवा कर इन गरीबों को सहयोग प्रदान करें जिससे उनको उनके उत्पादन का लाभ मिल सके । साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि खादी की फुटकर बिक्री पर रिबेट क्लेम करने के लिए खादी कमिश्नर व राज्य बोर्ड व्यवस्था करे । क्योंकि अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग की महिलाओं का यह मूल धंधा है, इसलिए खादी की गुणवत्ता बढ़ाने व अच्छे डिजाइन तैयार करने के लिए बीकानेर शहर में एक डिजाइनिंग सेंटर की स्थापना भी करायी जाए। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Jaitley.

GOVERNMENT BILL

The Inland Waterways Authority of India (Amendment) Bill, 2001

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Inland Waterways Authority of India Act, 1985.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I introduce the Bill.

The Indian Divorce (Amendment) Bill, 2000

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI ARUN JAITLEY): I am extremely grateful to you, Mr. Chairman, Sir. I was also permitted, on Thursday afternoon, to move the Indian Divorce (Amendment) Bill and to explain as to what this Bill was all about. Sir, the Indian Divorce Act, 1869, that was enacted in the last century, was almost an exact replica of the English Matrimonial Causes Act of 1857. Thereafter, there was a great demand for changes and improvements, in terms of gender equality, in the English law, and, in 1923, the English Law itself was changed. In the last 45 years, we have made several attempts to improve and change several clauses in this law. The Law Commission, on 4 occasions, i.e., through its 15th Report, the 22nd